अरावली में अवैध फार्महाउसों को कब तक दिए जाते रहेंगे नोटिस

वन विभाग की कार्रवाई सिर्फ कानून से बचने का जुगाड़ है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः हरे-भरे अरावली को उजाड़कर बने सौ से ज्यादा फार्महाउसों में से सिर्फ 23 फार्म हाउस मालिकों को वन विभाग ने नोटिस देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यह नोटिस पहली बार नहीं दिया गया है, पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। इन अवैध फार्म हाउसों को सिर्फ वन विभाग ही नहीं, कभी डीसी फरीदाबाद की तरफ से कभी फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। लेकिन इन अवैध फार्महाउसों में न व्यापारिक गतिविधियां रुकीं, न इन्होंने जमीन का कब्जा खाली किया। इन अवैध कब्जों में दो पुलिस चौकियां और बडखल रोड पर जिमखाना क्लब भी शामिल है। इस क्लब की जमीन एचएसवीपी की है।

1992 के बाद कटे जंगल

वन विभाग ने ताजा नोटिस नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर दिए हैं। यानी अगर एनजीटी का निर्देश नहीं होता तो वन विभाग तो सोया पड़ा था। वन विभाग ने फार्महाउस मालिकों से इस नोटिस का जवाब दस दिनों में मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब नहीं मिलने पर सभी अवैध फार्महाउसों को तोड़ दिया जाएगा।

अरावली पहाड़ एरिया में अवैध निर्माण मामले की एनजीटी में सुनवाई के दौरान फार्महाउसों का मामला उठा। तब एनजीटी ने निर्देश जारी किया। यह मामला 2013 से चल रहा है। एनजीटी के बाद वन विभाग ने एक सर्वेक्षण किया, और पाया कि अरावली के इलाके में स्थित मेवला महाराजपुर, अनखीर, अनंगपुर और मंगर इलाके में 123 फार्महाउस बनाए गए थे। सेक्टर 45 और 21 सी के कुछ हिस्से भी अरावली में आते हैं और नियमों का उल्लंघन कर विकसित किए गए थे। विभाग जल्द ही बाकी मालिकों को नोटिस जारी करने जा रहा है।

राज्य वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मेवला महाराजपुर, अनखीर और अनंगपुर में 1992 से जंगल बड़े पैमाने पर काटे गए और यहां फार्महाउस और भवन बनाए गए। हमने राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक अपना रिकॉर्ड भी ठीक किया है। 1992 के बाद बिना अनुमति बने फार्महाउसों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि लगभग 50 फीसदी फार्महाउसो पर कोर्ट स्टे है, किसी में जिला अदालत से तो किसी में हाई कोर्ट से। अब, विभाग संबंधित अदालतों को एनजीटी के निर्देशों के बारे में सूचित करने के लिए अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय मांग रहा है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

तब कहां था वन विभाग

वन विभाग खुद स्वीकार कर रहा है कि 1992 के बाद अरावली में जंगल ज्यादा कटे लेकिन सवाल यह है कि उस समय से अब तक वन विभाग कहां सोया पड़ा था। हाल ही में बदरपुर बॉर्डर पर फरीदाबाद सीमा में खोरी गांव में एक बड़ी अवैध कॉलोनी को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया कि व वन विभाग और एमसीएफ की जमीन पर बनी थी। मजदूर मोर्चा (20-26 सितम्बर) की छानबीन के दौरान उस समय ये तथ्य आये थे कि करीब 150 एकड़ जमीन को वन विभाग और कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने मिलकर बेच दिया था। इस जमीन करीब 15000 लोग रह रहे थे। यहां बने करीब 400 मकानों को 14 सितम्बर को गिरा दिया गया। लेकिन ऐसी ही कार्रवाई वन विभाग और पुलिस ने इस इलाके में बने फार्महाउसों पर नहीं की गई। इसके लिए अब वन विभाग स्टे की आड़ ले रहा है, जबकि वन विभाग चाहता तो स्टे लेने से पहले वह अवैध फार्महाउसों पर कार्रवाई कर देता।

क्या नहीं होता इन फार्महाउसों में

अरावली में बने अवैध फार्महाउसों में ऐसा कोई अवैध धंधा नहीं है जो यहां न होता हो। कुछ फार्महाउस तो सीधे-सीधे शादियों के मंडप और पिकनिक स्पॉट में बदल गए हैं। कुछ में क्रिकेट अकादमी, क्रिकेट गुरुकुल और क्लब चलाये जा रहे हैं। इनमें से कई फार्म हाउसों में विभिन्न क्लब क्रिकेट मैच सट्टा लगाकर खेलते हैं। एक बड़ी जमीन को एक धार्मिक संस्था का सत्संग स्थल बना दिया गया है। कुछ फार्महाउसों में गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल के साथ-साथ शराब का बंदोबस्त रहता है।

कम से कम दो-तीन फार्महाउसों का इस्तेमाल महिलाओं के स्पा सेंटर के रूप में किया जा रहा है। कुछ फार्महाउसों में देह व्यापार कराये जाने तक की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस की नजर में ये सारी अवैध गतिविधियां नहीं हैं, पुलिस को पूरी जानकारी है लेकिन रसूखदार लोगों की वजह से पुलिस हाथ डालने से कतराती है। इन्हीं रसूखदारों की वजह से कुछ फार्महाउस तक नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों ने पक्की सड़कें तक बनवा दी हैं।

डांट चुका है सुप्रीम कोर्ट

अरावली में फार्महाउस, पक्के निर्माणों और व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध से वैध करने की कोशिश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने खट्टर सरकार और उसके अधिकारियों को कड़ी डांट पिलाई थी। मार्च 2019 में कांत एन्क्लेव मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पीएलपीए) 1900 में कोई छेड़छाड़ न करे। अदालत ने कहा था कि हम अरावली को लेकर चिन्तित हैं, इसलिए हरियाणा सरकार इस बात को समझे कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने विधानसभा में बिल पास करा लिया और राज्यपाल की अनुमति भी इस पर ले ली। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब इस मामले में याचिका दायर की गई तो हाई कोर्ट ने अरावली में किसी भी तरह के निर्माण और व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। बता दें कि पीएलपीए 1900 कानून की आड़ में बिल्डरों को अरावली में कुछ भी निर्माण करने की छूट मिल जाती है।

पार्कों में पेड़ काट कर लग रही हैं जिम की मशीनें

बच्चे आखिर कहां जायें खेलने, बुजुर्ग कैसे घूमें इनमें

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः शहर में पार्कों की कमी नहीं है, लेकिन नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) की नीयत खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। हालांकि जिम की मशीनों का अपना महत्व है लेकिन उसके लिए क्या शहर के पार्क ही मिले हैं। जबकि एमसीएफ की अवैध जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हों। नगर निगम चाहता तो अपनी ऐसी जमीनों पर जमीन की मशीनें लगवाकर कमाई का जरिया भी निकाल सकता था।

एमसीएफ मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर और दशहरा मैदान के ठीक सामने बना एनआईटी का रोज गार्डन इस महाप्रदूषित शहर की जहरीली हवा को बहुत मामूली हद तक रोकने में कामयाब है। लेकिन इस रोज गार्डन में लगे हरे-भरे पेड़ों को जिम की मशीनों के लिए काट दिया गया। हाल ही में इस गार्डन के एक कोने में बड़े हिस्से में झूले, सोलर लाइटें और कुछ जिम मशीनें लगाई गई हैं जबकि कुछ जिम मशीनें बहुत पहले से लगी हुई हैं। इन पेड़ों और डालियों को यह कहकर काटा गया है कि ये जिम की मशीनों पर आ गई थीं, इसलिए इनका हटाना बहुत जरूरी था।

जिम के लिए एनआईटी के रोज गार्डन में लगे हरे-भरे पेड़ों की छटाई कर दी गयी है

एमसीएफ उद्यान विभाग के आला अफसर और खुद कमिश्नर को रोज गार्डन का मुआयना कर देखना चाहिए कि शहर का यह मशहूर पार्क किस तरह बर्बादी का शिकार होकर रह गया है। इसके एक बड़े हिस्से में पक्के निर्माण कर और जिम मशीनें लगाकर हरे-भरे पार्क को बर्बाद कर दिया गया है। न बच्चों के खेलने की ठीकठाक जगह बची और न बुजुर्गों के टहलने के लिए लंबा-चौड़ा स्पेस ही बचा है। कांग्रेस शासनकाल में जब कभी ए.सी. चौधरी मंत्री थे, तब उन्होंने बहुत कोशिश करके इस पार्क को जिन्दा किया था। कई साल तक यह पार्क ताजा आबोहवा लेने वालों का, टहलने वालों का सबसे बड़ा सेंटर था लेकिन अब यह पार्क बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा है।

शहर में तमाम सामाजिक-धार्मिक और नागरिक संगठन आये दिन जलसा-जुलूस करते हैं लेकिन शहर के इस सबसे बड़े पार्क की ताजगी बरकरार रखने के लिए कोई संगठन पहल नहीं करता। धार्मिक संगठनों को मंदिरों के चढ़ावे की चिन्ता है लेकिन उनके या अन्य घरों के बच्चे इस पार्क में ठीक से जाकर खेलकूद सकें, इसकी चिन्ता इन धर्म रक्षकों को नहीं है। उम्मीद है कि मजदूर मोर्चा की इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए शहर के तमाम संगठन एकजुट होकर एनआईटी के रोज गार्डन को बचाने के लिए पहल करेंगे।

सुलभ शौचालय की तरह चलाओ जिम मशीनें

मजदूर मोर्चा की ओर से नगर निगम को सुझाव है कि वह जिम की मशीनों को रोड गार्डन जैसे पार्कों में लगाने की बजाय ऐसी जगहों पर लगाये जहां उसकी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। वह मशीनों के इस्तेमाल के लिए थोड़ी फीस लगाकर अपनी कंगाल हालत को ठीक कर सकता है। जिस तरह सुलभ शौचालय हर जगह सरकारी जमीन पर शौचालय बनाकर अपनी कमाई कर रहा है, वह फॉर्म्युला एमसीएफ भी अपना सकता है। मजदूर मोर्चा संवाददाता ने कुछ पार्कों में पाया कि वहां जिम मशीनें क्षेत्रीय विधायक, पार्षद या मंत्री को खुश करने के लिए लगाई गई हैं। दरअसल, यह भी भ्रष्ट व्यवस्था का एक धंधा है। हर पार्क में जिम मशीनें और सोलर लाइट, झूला वगैरह लगाने का काम राजनीतिक पहुंच रखने वाली फर्म को दिया गया है।

इस फर्म की कमाई होती है और कुछ अफसरों को उसका कमीशन पहुंचता रहे तो कुछ पार्कों में बिना जरूरत भी इन मशीनों को लगा दिया गया है। तमाम सेक्टरों में रोज गार्डन से छोटे पार्क हैं, इसके बावजूद वहां जिम मशीनें लगा दी गई हैं।

उन पर नाममात्र के लोग अपना हाथ पैर आजमाते हैं लेकिन बच्चों के खेलने की जगहें जरूर कम हो गई हैं। सेक्टर 28, 29, 31, 15, 16 में तो छोटे पार्क और भी छोटे हो गए हैं। लेकिन कमीशन और धंधे के चक्कर में इस तरफ सोचने की चिन्ता न तो एमसीएफ के आला अफसरों को है और न चुने गए पार्षदों को है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06